फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोकल बनाम विपक्षी : श्री सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा (खालसा) व अन्य

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पत्रावली संख्या : 02/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 26.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से पालना रिपोर्ट अप्राप्त। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर द्वारा दिनांक 02.11.2020 को स्वीकार कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त डिक्री की पालना हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर प्रकरण संख्या 71/20 अनवान श्री गोकल बनाम श्री सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा (खालसा) में जारी डिक्री दिनांक 02.11.2020 की पालना किये जाने का निवेदन किया।

हमने पाया कि प्रार्थी/वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसे दिनांक 02.11.2020 को स्वीकार कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया। मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंधित होने से प्रकरण में थाना अधिकारी खेरोदा को डिक्री की पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested